



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275104
CG-DL-E-03082026-275104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4054]
No. 4054]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

का.आ. 4224(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से भोगत (गुजरात) तक वाया विरमगाम और सलाया कूड ऑयल पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत वेदांता लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी कम सक्षम प्राधिकारी, ओ.एन.जी.सी.एल, सीईआईएल (ओ.ए.एल.पी. - वेदान्ता) कार्यालय, कलक्टर परिसर, बाड़मेर, राजस्थान-344001 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला बाड़मेर			राज्य राजस्थान			
क्रम संख्या	गांव का नाम	तहसील	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	आढतरा	नोखड़ा	745/681	01	32	30
			838/681	00	04	05
			841/681	00	02	00
			724/677	00	93	45
			725/677	00	06	00
			748/695	00	02	00
			703	00	10	00
2	धोलपालिया नाडा	नोखड़ा	556/442	00	70	80
			442/1	00	02	00
			463/3	00	02	00
			481/1	00	06	00
			481	00	16	20
			482/1	00	07	00
			483/2	00	00	81
			483	00	63	50
			484	00	06	00
			485	00	51	50
			486	00	56	00
			487	00	63	00
			528	00	05	30
2	धोलपालिया नाडा (जारी.....)	नोखड़ा	527	00	30	50
			526	00	32	65
			512	00	21	00

			508/7	00	59	00
			508/2	00	21	00
			508/10	00	13	50
			514/1	00	30	00
3	भाडखा	बाड़मेर ग्रामीण	812/429	00	34	00
			810/429	00	17	00
			811/429	01	39	00

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/5/2024-इएक्सपीएल-पीएनजी (ई-50966)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

S.O. 4224(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Pipeline within Barmer (Rajasthan) to Bhogat (Gujarat) Crude Oil Pipeline Project by Vedanta Limited and Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of Gazette of India containing this notification area made available to the General public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Land Acquisition Officer Cum Competent Authority, O.N.G.C.L., CEIL, OALP- VEDANTA Barmer – Bhogat Pipeline Project, Collector Campus, Barmer, Rajasthan-344 001.

SCHEDULE

District:- Barmer				State :- Rajasthan		
Sl.	Name of the Village	Tehsil	Khasara No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	Aadhtra	Nokhada	745/681	01	32	30
			838/681	00	04	05
			841/681	00	02	00

			724/677	00	93	45
			725/677	00	06	00
			748/695	00	02	00
			703	00	10	00
2	Dholpaliya Nada	Nokhada	556/442	00	70	80
			442/1	00	02	00
			463/3	00	02	00
			481/1	00	06	00
			481	00	16	20
			482/1	00	07	00
			483/2	00	00	81
2	Dholpaliya Nada (Cont....)	Nokhada	483	00	63	50
			484	00	06	00
			485	00	51	50
			486	00	56	00
			487	00	63	00
			528	00	05	30
			527	00	30	50
			526	00	32	65
			512	00	21	00
			508/7	00	59	00
			508/2	00	21	00
			508/10	00	13	50
			514/1	00	30	00
3	Bhadkha		812/429	00	34	00
			810/429	00	17	00
			811/429	01	39	00

[F. No. Expl-13011(26)/5/2024-EXPL-PNG (E-50966)]

REGHURAM KRISHNA, Under. Secy.